राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा

जबकि, 31 अगस्त, 2022 तक, इलिनॉय राज्य और शिकागो शहर में, बिना किसी या अल्प सूचना के, टेक्सास राज्य द्वारा भेजी गई बसें आनी शुरू हो गईं, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका से उन व्यक्तियों और परिवारों को ला रही थीं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण मांग रहे थे; और,

जबकि, 31 अगस्त, 2022 और 1 मार्च, 2024 के बीच, शरण लेने के लिए आने वाले पैंतीस हजार से अधिक लोग और परिवार टेक्सास से शिकागो और अन्य इलिनॉयस शहरों में बिना किसी सूचना के आए; और,

जबकि, यह उम्मीद की जाती है कि शरण मांगने वाले व्यक्तियों और परिवारों को सरकारी संस्थाओं द्वारा टेक्सास से इलिनॉय और संभावित रूप से अन्य राज्यों में ले जाया जाता रहेगा और राज्य और स्थानीय भागीदारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फंड की व्यवस्था करने और आवश्यक सेवाएं देने के लिए एक साथ काम जारी रखना होगा, जिसमें निम्न कार्य शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; आश्रय क्षमता बढ़ाना, पुनर्वास मामले के प्रबंधन और स्थायी आवास की व्यवस्था करना; और

जबकि, इलिनॉय लोगों का स्वागत करने वाला राज्य है, जो लंबे समय से बढ़ते अप्रवासियों के समुदाय से समृद्ध और संपन्न रहा है और 1975 से जिसने 60 से अधिक देशों के 125,000 से अधिक शरणार्थियों को बसाया है; और,

जबकि, राज्य एजेंसियां**,** शिकागो शहर और अन्य स्थानीय शासन के साथ निकट समन्वय स्थापित कर, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना जारी रखे हुए हैं कि यहां पहुंचने वाले व्यक्तियों और परिवारों को, उनके कुशल-मंगल और इलिनॉय राज्य और उसके निवासियों के समग्र कुशल-मंगल, दोनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त हो; और,

जबकि, इलिनॉय में आए शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों को विशिष्ट और तत्काल सहायता की आवश्यकता है, जिसमें आपातकालीन आश्रय और आवास; भोजन; स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा जांच और उपचार; महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में सहायता के लिए केस प्रबंधन सेवाएं (कानूनी सेवाओं और नौकरी के लिए त्वरित सहायता सहित) और लाभ (संभावित रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम, और/या अपराध के शिकार अधिनियम के तहत, मानव तस्करी, यातना और अन्य गंभीर अपराधों (VTTC) के पीड़ितों को लाभ सहित); पब्लिक स्कूलों में नामांकन; और लंबी अवधि के लिए आवास और आवास सहायता शामिल हैं; और,

जबकि, चूंकि ये परिवार और लोग अपने घरों से बहुत लंबी और कठिन यात्रा करके आए हैं, उनमें से कई को चिकित्सा देखभाल की भी आवश्यकता होती है, जिनमें गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव से पूर्व देखभाल; बच्चों में कुपोषण, डिहाइड्रेशन और अस्थमा के लिए उपचार; पैर की चोट और घाव की देखभाल; टीकाकरण; और पुरानी बीमारी का उपचार भी शामिल हैं। इलिनॉय आने वाले कई वयस्कों, बच्चों और शिशुओं का मानसिक स्वास्थ्य अवलोकन और उनकी यात्रा के दौरान अनुभव किए गए आघात से उबरने के लिए देखभाल की भी आवश्यकता होती है; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य और संपूर्ण राज्य में कई स्थानीय सरकारें नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश या शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों के साथ-साथ अतिसंवेदनशील आबादी की जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने में पूरी तरह से व्यस्त हैं; और,

जबकि, शरण चाहने वाले परिवार और व्यक्ति बिना किसी अग्रिम सूचना के इलिनॉय में आ रहे हैं, जैसे कि वे कब आएंगे और उनका इलिनॉय राज्य या शिकागो शहर के साथ कोई समन्वय नहीं है**,** जिससे इस उद्घोषणा की आवश्यकता हो रही है**;** और**,**

जबकि, इलिनॉय राज्य और स्थानीय सरकारों ने गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयंसेवकों के साथ नजदीकी समन्वय स्थापित करके शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया है; और,

जबकि, इन कमजोर परिवारों और व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की सामान्य क्षमता काफी हद तक पार हो गई है, और वर्तमान शरण चाहने वाले परिवारों और व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बढ़ी हुई क्षमता को बनाए रखने के लिए तत्काल और निरंतर कदम उठाने की आवश्यकता है; और,

जबकि, तत्काल और लगातार कार्रवाई के बिना, शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों के लिए अल्पकालिक और मध्यवर्ती एवं लंबी अवधि के आश्रय और आवास; उन्हें समावेशित करने वाली सेवाएं जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सेवाएँ, और रोजगार के लिए त्वरित सहायता; अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के लिए केस प्रबंधन कर्मचारी; और इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सभी स्तरों पर आवश्यक परिचालन के लिए स्टाफिंग; सहित महत्वपूर्ण सेवाओं में क्षमता की कमी हो जाएगी; और,

जबकि, आपातकालीन आश्रय और आवास क्षमता के ही कर्मियों और सेवाओं के लिए तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा करते रहने, और पूरे इलिनॉय में शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों तथा समुदायों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कुशलता को किसी जोखिम से बचाते रहने के लिए, राज्य को राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों के उपयोग की आवश्यकता वाली अनुबंधित सहायता को तत्काल प्राप्त करना चाहिए; और,

जबकि, मौजूदा इलिनॉय निवासियों के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित न हों, यह सुनिश्चित करते हुए इस विकसित होती स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक अंतर-एजेंसी और अंतर-सरकारी प्रयासों हेतु लगातार स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने आवश्यक है; और,

जबकि, वर्तमान स्थिति की परिस्थितियाँ इन कमजोर परिवारों और व्यक्तियों और राज्य के स्वास्थ्य**,** सुरक्षा और कल्याण के लिए खतरे को जन्म देती हैं**,** इस कारण इसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है**,** और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार यह आपदा की स्थिति है, और इस कारण इसका सामना करने के लिए राज्य द्वारा आपातकालीन कार्रवाई की आवश्यकता है**;** और**,**

जबकि, सितंबर, 2022 को, इन परिस्थितियों के कारण स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के खतरे को देखते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य में सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि राज्य किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहेगा और, इसीलिए, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त राज्य संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक व उपयुक्त है; और,

जबकि, ये परिस्थितियाँ इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम के अनुभाग 7 के अंतर्गत आपदा की उद्घोषणा जारी करने का कानूनी औचित्य प्रदान करती हैं; और,

जबकि, इलिनॉय संविधान, अनुच्छेद V, धारा 8 में, यह प्रावधान है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी और वह कानूनों के निष्ठापूर्ण कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में कहा गया है कि इलिनॉय संविधान का केंद्रीय उद्देश्य "लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रदान करना" है;

अब, अतः, इलिनॉय के लोगों और लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण हेतु उत्तरदायी स्थानीय शासन की सहायता के लिए, मैं, जे बी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), एतद्द्वारा निम्नवत उद्घोषणा करता हूं:

अनुभाग 1: इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं यह पाता हूं कि इलिनॉय राज्य के भीतर आपदा मौजूद है और राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूं। यह उद्घोषणा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 (*Section 7 of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7*) में प्रदत्त समस्त आपातकालीन शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं पर उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के इस्तेमाल के प्राधिकार की अनुमति देती है।

अनुभाग 2. इलिनॉय मानव सेवा विभाग (Illinois Department of Human Services) प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करने के साथ, राज्य एजेंसियों, जिनमें नीचे सूचीबद्ध लोग भी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, को गवर्नर के साथ-साथ अन्य राज्य एजेंसियों, स्थानीय अधिकारियों और इलिनॉय राज्य शिक्षा बोर्ड (Illinois State Board of Education) के साथ सहयोग जारी रखने, और वर्तमान स्थिति के प्रभावों का जवाब देने के लिए रणनीतियों और योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में एक-दूसरे के साथ समन्वय जारी रखने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें इलिनॉय शरण चाहने वालों की जरूरतों को पूरा करना शामिल है : इलिनॉय मानव सेवा विभाग (Illinois Department of Human Services) (जिसमें शरणार्थी और आप्रवासी सेवा ब्यूरो, हिस्पैनिक और लातीनी मामलों का कार्यालय, स्वागत केंद्र शामिल हैं, और राज्य शरणार्थी समन्वयक और राज्य मुख्य बेघर अधिकारी (State Refugee Coordinator and State Chief Homelessness Officer) को नियुक्त करता है); इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health) (जो राज्य शरणार्थी स्वास्थ्य समन्वयक को नियुक्त करता है); इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी और होमलैंड सुरक्षा कार्यालय (Illinois Emergency Management Agency and Office of Homeland Security); इलिनॉय केंद्रीय प्रबंधन सेवा विभाग (Illinois Department of Central Management Services); इलिनॉय श्रम विभाग (Illinois Department of Labor); और इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल और परिवार सेवा विभाग (Illinois Department of Healthcare and Family Services)

अनुभाग 3. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) और होमलैंड सिक्योरिटी कार्यालय को राज्य आपातकालीन संचालन योजना को लागू करने और आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यों में राज्य की संस्थाओं और स्थानीय सरकारों का समर्थन करने के लिए राज्य के संसाधनों से समन्वय करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

अनुभाग 4. प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम द्वारा यथा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध जो आपदा का सामना करने में आवश्यक

कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं किए गए हैं। प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक अनुदान देने, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम द्वारा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियां, जवाबदेही और अनुदान जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम और इसे लागू करने वाले इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) के प्रावधान जिसके लिए राज्य एजेंसियों को फंडिंग अवसर (NOFO) की सूचना प्रकाशित करने और योग्यता आधारित आवेदन समीक्षा करने की आवश्यकता होती है और जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक कि वे संघीय कानून के लिए आवश्यक नहीं हैं। अनुदान जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम के शेष प्रावधान प्रभावी रहेंगे। यदि आवश्यक हो तो, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(1) का अनुभाग 7(1) (*Section 7 of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7*) के अनुसरण में, राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थगित करने के लिए उपयुक्त सरकारी कार्रवाई कर सकते हैं।

अनुभाग 5. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(3) के अनुभाग 7(3) (*Section 7(3) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(3)*) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और उनके अभिकरणों या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या कार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को, आवश्यकतानुसार, सक्रिय करती है।

अनुभाग 6. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(10) के अनुभाग 7(10) (*Section 7(10) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(10)*) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा अस्थायी आपातकालीन आवास की उपलब्धता और उपयोग के लिए प्रावधान करने के लिए, आवश्यकतानुसार, राज्यपाल (गवर्नर) के अधिकार को सक्रिय करती है।

अनुभाग 7: यह उद्घोषणा संघीय आपदा सहायता के अनुरोधों को सुगम कर सकती है, बशर्ते क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

अनुभाग 8. यह उद्घोषणा तत्काल प्रभावी होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

____

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)
राज्यपाल (गवर्नर)

दिनांक: 1, मार्च 2024